

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: संशोधन आदेश ::—

इस कार्यालय द्वारा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के विभिन्न विषय के परीक्षा अनुज्ञा के आदेश जारी किये गये थे, में संबधित कार्मिक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर कॉलम संख्या 4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र स	नाम कार्मिक एवं पदस्थापन स्थान	मूल आदेश क्रमांक/दिनांक	जारी संशोधन जो किया जाना है
1	2	3	4
1	मुकेश कुमार वैष्णव – राउमावि. रियांबड़ी, नागौर	शिविरा/मा/संस्था/सी- 5/ विभिन्न विषय/परीक्षा अनुज्ञा/2019-20/69 दिनांक 19.08.2020	परीक्षा अनुज्ञा आदेश दिनांक 19.08.2020 में क्रम संख्या 1 पर कॉलम संख्या 4 में अंकित 05-01-88 के स्थान पर 01-05-88 पढ़ा जायें।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक 22/06/2021

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/संशोधन/ 636

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संबधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा।
4. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. संबधित प्रधानाचार्य/संबधित आशार्थी।
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर